न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 45/2026 दायर दिनांकः 12.02.2026

उनवान

दुर्गेश मेघवाल आ० कन्हैयालाल जाति मेघवाल नि. हेमडा तहसील सुनेल

— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय सुनेल तहसील सुनेल

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषकः—

अभिभाषक प्रार्थी :— श्री ईश्वरसिंह
अप्राथी सं. 1 :— पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 10.06.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम हेमड़ा पटवार हल्का हेमड़ा तह. सुनेल की आराजी खाता संख्या 619 खसरा नं. 1486/535 रकबा 1.1382 हे0 प्रार्थी के खाते कब्जे काश्त की आराजी है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2074—2077 प्रस्तुत है। यह कि आराजी खसरा नं. 1486/535 प्रार्थी ने पूर्व खातेदार से क्रय कर पूर्व खातेदार के कब्जे अनुसार कब्जा प्राप्त कर लिया था। लेकिन जब प्राथर्थी ने आराजी का ऑनलाईन नक्शा देखा तो नक्शा पूर्व खातेदार एवं प्रार्थी के कब्जे अनुसार ना होकर अलग लम्बाई—चौड़ाई में बना हुआ है। प्रार्थी ने नक्शा लट्ठा की नकल प्राप्त की तो उसमें प्रार्थी के कब्जे अनुसार ही इन्द्राज पाया गया। प्रार्थी के कब्जे और लट्ठा नक्शा में अन्तर नहीं है। यह कि ऑनलाईन नक्शा तैयार करते समय बिना मौका देखें नक्शे में खसरा नं. 1486/535 को जिस तरह दर्शाया गया है वह वास्तविक स्थिति तथा नक्शा लट्ठा में अंकित अनुसार नहीं है। ऑनलाईन नक्शे में खसरा नं. 1486/535 को

Scanned with OKEN Scanner

लट्ठा नक्शा अनुसार तरमीम की शुद्धि किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय से राजस्व रेकार्ड में ऑनलाईन नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने की सलाह दी। इस कारण यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होकर वर्चित कोर्टफीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम हेमडा पटवार हल्का हेमडा तह. सुनेल की आराजी खाता संख्या 619 खसरा नं. 1486/536 रकबा 1.1382 हे0 की ऑनलाईन नक्शे में नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम शुद्धि किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का एवं भू अमि निरी द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार रिपोर्ट के अनुसार बिन्दुवार जबावदावा निम्नानुसार है–मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी 2074–2077 खाता सं. 619 सही है। शेष माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिन्दु सं. 2 माननीय न्यायालय से संबंधित है। सही है एवं माननीय न्यायालय से संबंधित है। सही है व माननीय न्यायालय से संबंधित है। माननीय न्यायालय से संबंधित है। अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुवार जबावदावा तैयार कर श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम हेमडा तहसील सुनेल का खाता सं. 619 जमाबंदी सं. 2074–77, खसरा नक्शा दिनांक 06.01.2026, गूगल नक्शा, नक्शा ट्रेस दिनांक 12.02.2026, खाता सं. 440 की जमाबंदी सं. 2074–77 पेश की। अप्रार्थी की ओर से पटवारी हल्का की रिपोर्ट, खाता सं. 619 जमाबंदी सं. 2074–77, नक्शा ट्रेस पेश की।

4. अभिभाषकगण प्रार्थी व अप्रार्थी पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम हेमडा तहसील सुनेल की प्रार्थी की आराजी ख.नं.

Scanned with OKEN Scanner

1486/535 रकबा 1.1382 है. के राजस्व नक्शे में तहसील को आनलाईन करते समय सेग्रिगेशन के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के और प्रार्थी को सुने बिना लटठा नक्शा के आकार को बदल दिया गया जबकि प्रार्थी वक्त कय से मौके पर यथावत कब्जे काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी से पहले विकेता खातेदारान मौके पर कई वर्षो से यथावत कब्जे काश्त चले आ रहे थे। प्रार्थी के ख.नं. 1486/535 का रकबा 1.1382 है. है जबकि इसके लगवा उत्तर में स्थित आराजी ख.नं. 1496/535 का रकबा 0.5691 है. यानि आधा है। लटठा नक्शा में प्रार्थी के खेत ख.नं. 1486/535 का आकार उत्तर के लगवा ख.नं. 1496/535 से दुगुना है लेकिन सेग्रिगेशन के दौरान राजस्व कार्मिको ने गैर कानूनी रूप से प्रार्थी के खसरे नक्शे का आकार आधा कर दिया जबकि ख. नं. 1496/535 के नक्शे का आकार दुगुना कर दिया गया। उक्त त्रुटी तत्कालीलन हल्का पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं सक्षम आदेश के बिना की गई थी जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। अतः तहसीलदार द्वारा प्रार्थी के राजस्व नक्शे में गैर कानूनी रूप से की गई तरमीम को दुरूस्त किया जाकर लटठा नक्शानुसार किये जाने के आदेश दिये जावे।

5. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए मौखिक कथन किया है कि सेग्रिगेशन के दौरान ग्राम हेमडा के ख.नं. 1486/535 के आनलाईन नक्शे में त्रुटी हो गई है। प्रार्थी के खसरे का लटठा नक्शानुसार आनलाईन नक्शा नहीं बना है। प्रार्थी के खेत का आकार त्रुटीवश आनलाईन नक्शे में आधा हो गया है जबकि पडौसी ख.नं. 1496/535 का नक्शा करीब दुगुने आकार का हो गया है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा आनलाईन नक्शे में किस आधार पर यह तरमीम की गई है, इसका कोई भी साक्ष्य या दस्तावेज तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। सेग्रिगेशन के दौरान राजस्व नक्शे में लटठा नक्शा से भिन्न की गई तरमीमो का किसी भी पटवार हल्के का कोई रिकार्ड तैयार नहीं किया गया था। तत्कीलन हल्का पटवारियों ने अपने विवेक से ही यह तरमीमे की है। हेमडा के लगवा अन्य ख.नं. 535 एवं

Scanned with OKEN Scanner

1635/535 आदि के नक्शो में भी बिना आधार के त्रुटी हुई है। अतः प्रार्थी के नक्शे में भूलवश हुई त्रुटी को दुरूस्त किये जाने में पेरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

6. अभिभाषकगण प्रार्थी व अप्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम हेमडा वादग्रस्त आराजी के लटठा नक्शा की नकल दिनांक 12.02.2026, अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा पेश लटठा नक्शा की नकल एवं प्रार्थी द्वारा पेश वर्तमान आनलाईन नक्शें की प्रतिलिपी दिनांक 06.01.2026 के अवलोकन से स्पष्ट है कि लटठा नक्शा में प्रार्थी के ख.नं. 1486/535 के नक्शे का आकार उत्तर में स्थित ख.नं. 1496/535 के नक्शे के आकार से लगभग दुगुना जाहिर होता है परन्तु सेग्रिगेशन के बाद तैयार आनलाईन नक्शे में दोनो खसरो क़ा आकार लगभग बराबर प्रतीत होता है। प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा पेश ग्राम हेमडा की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी सं. 2074–77 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के ख.नं. 1486/535 रकबा 1.1382 है. का क्षेत्रफल ख.नं. 1496/535 रकबा 0.5691 है. के क्षेत्रफल से दुगुना है लेकिन खसरा नक्शे में क्षेत्रफल सेग्रिगेशन के दौरान तहसीलदार व राजस्व कार्मिकों द्वारा लगभग बराबर कर दिया गया है जो विधि विरूद्ध होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने विभिन्न निर्णियों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि तहसीलो के सेग्रिगेशन के दौरान तहसीलदार व अन्य राजस्व कार्मिको को बिना किसी सक्षम आदेश के किसी भी खातेदार के राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्व कार्मिको द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश या वैध दस्तावेज के काश्तकार को सुने बिना स्वैच्छिक रूप से किये गये परिवर्तन प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के नक्शे में की गई उक्त त्रुटि को दुरूस्त कर नक्शे में तरमीम शुद्व किया जाना उचित बताया है।

7. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपेरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद (सेग्रिगेशन

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही भी शामिल) नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रुटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रुटि को सेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रकिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेमीमेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रुटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रुटि को धारा 131 व 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में सेमीमेशन के दौरान राजस्व नक्शे में बिना किसी सक्षम आदेश के त्रुटिपूर्ण तरमीम की गई जिसे धारा 131 व 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or pprtion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम हेमडा तहसील सुनेल के खसरा नं. 1486/535 के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

Scanned with OKEN Scanner

—::क्रियात्मक आदेश::—

9. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम हेमडा तहसील सुनेल के खसरा नं. 1486/535 के आनलाईन नक्शे में लटठा नक्शा के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के तहसीलदार सुनेल को आदेश दिये जाते है। ख.नं. 1486/535 एवं 1496/535 के नक्शे जमाबंदी में दर्ज रकबे के अनुसार दुरूस्त किये जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.06.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/6/2026

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

Scanned with OKEN Scanner